**International Journal of Research in Economics and Social Sciences(IJRESS)**
Available online at: http://euroasiapub.org
Vol. 9 Issue 11, November - 2019
ISSN(o): 2249-7382 | Impact Factor: 6.939 |

# भारतीय संविधान में नागरिकता प्रावधान और नागरिकता संबंधित संविधान मे संशोधन एक महत्वपूर्ण अवलोकन

डॉ. चक्रधर ग. बागडे
राजनिती विज्ञान विभाग प्रमुख
शामराव बापू कापगते आर्टस कॉलेज साकोली जि. भंडारा

**सारांश**

हालांकि नागरिकता एक सरल और सीधी अवधारणा है, यह कई कारणों से भारतीय राजनीतिक मामलों में एक जटिल और विवादास्पद मुद्दा प्रतीत होता है। वैश्वीकरण और रोजगार के कारण बड़ी संख्या में लोग एक देश से दूसरे देश में जाने लगे हैं और लोग एक ही समय में कई स्थानों पर जा रहे हैं। जब से दुनिया में वैश्वीकरण की हवाएं चलने लगी हैं तब से यह काफी इसमे तेजी बढ़ गयी है। दूसरी ओर व्यापार और उद्योग का विस्तार करने के लिए, रोजगार की खोज, रिश्तों आदि की कारन आंतरराष्ट्रीय स्तर पर स्थलांतर करनेवालो की संख्या दिन—प्रतिदिन बढ़ रही है। स्वतत्रता के बाद भारत मे नागरिकता की यह समस्या दिनोदिन परेशानेकी बात बनती जा रही है। भारत की राजनितीक पार्टीया इस समस्या का राजनीतिक पार्टी के लिए फायदा उठा रहे है। अपने देश मे यात्रा और निवास को विनियमित करने के लिए, कई देशों को अपने आधिकारिक नागरिकों और विदेशी या 'अप्रवासी' नागरिकों को कड़ाई कानून बनाये है। लेकिन दुनिया की कई देशों में अवैध प्रवेश की समस्या बढ़ती जा रही है और भारत भी इसी समस्या से जूझ रहा हैं। भारत में बढ़ती घुसपैठ और उनकी नागरिकता के सवाल को देखते हुए संसद ने समय—समय पर संविधान में संशोधन किया है। लेकीन आज भी यह अपनी जगह जैसे की तधसी है। इस लेख में, मैंने पिछले कुछ वर्षों में नागरिकता के संबंध में भारत में उत्पन्न हुई समस्या की समीक्षा करने का प्रयास किया है।

**प्रस्तावना**

नागरिकता एक कानूनी मामला है जो एक व्यक्ति और एक देश के बीच संबंधों को दर्शाता है। यदि नागरिकता की अवधारणा को कानूनी रूप से माना जाता है, तो प्रत्येक हर रा्र के लिए नागरिकाता के

International Journal of Research in Economics and Social Sciences(IJRESS)
Available online at: http://euroasiapub.org
Vol. 9 Issue 11, November - 2019
ISSN(o): 2249-7382 | Impact Factor: 6.939 |

अपने अपने नियम हैं। नागरिकों को उस क्षेत्र में रहने, संवाद करने, व्यापार करने के साथ–साथ राजनीतिक प्रक्रिया और राजनीतिक व्यवस्था में भाग लेने का अधिकार है। मतदान, राजनीतिक पद धारण करना आदि प्राप्त होते हैं। नागरिकता में निहित सामाजिक लाभ यह है कि व्यक्ति को एक समूह के रूप में एक सुरक्षित जीवन, आजीविका और सामान्य भलाई का अधिकार है। नागरिकता प्रदान करने के दो मुख्य सिद्धांत हैं। 'जस सोली' और 'जस सांगविनिस'। ये दोनों लैटिन में संज्ञा हैं। जस सोली के अनुसार, नागरिकता जन्म स्थान के आधार पर दी जाती है। जिस देश में यह मानदंड अपनाया गया है, उस देश में जन्म लेने वाले बच्चों को जन्म से ही उस देश की नागरिकता मिल जाती है। 'जस सांगविनिस' की अवधारणा रक्त संबंधों के महत्व पर जोर देती है। इसलिए बच्चे उसी देश की नागरिकता मिल जाती है, जिस देश के उनके माता–पिता नागरिक होते हैं। मोतीलाल नेहरू के समय के भारतीय नेताओं की राय थी कि जस सोली या जन्मस्थान के आधार पर भारतीय नागरिकता दी जानी चाहिए। घटना समिति ने जस सांगविनिस की अवधारणा को स्वीकार नहीं किया क्योंकि यह नस्लवाद पर आधारित थी और भारतीय संस्कृति के सिद्धांतों के खिलाफ थी। नागरिकता यह विषय संविधान में केंद्र की सूची में है, इसलिए नागरिकता का मुद्दा पूरी तरह से संसद के दायरे में आता है। भारतीय संविधान नागरिकता की व्याख्या को परिभाषित नहीं करता है; हालांकि, भारतीय संविधान के अनुच्छेद ५ से ११ में इस बात की जानकारी दी गई है कि भारतीय नागरिकता के लिए कौन पात्र हो सकता है। २६ जनवरी १९५० को संविधान के प्रावधान लागू हुए; हालाँकि, नागरिकता से संबंधित प्रावधान संविधान को अपनाने के बाद २६ नवंबर, १९४९ को लागू हुए। पिछले कुछ वर्षों में, राजनीतिक समस्याओं और पड़ोसी देशों द्वारा भारत के नागरिकों पर किए गए अत्याचारों के कारण, बड़ी संख्या में लोग अवैध रूप से भारत चले गए हैं। यह समस्या पूर्वोत्तर राज्यों और कश्मीर राज्य में प्रचलित है। कालांतर में वे यहीं बस गए। इन लोगों की बढ़ती संख्या ने स्थानीय लोगों को रोजगार और उनके अधिकारों से वंचित कर दिया। इस घटना ने असम राज्य में बड़े पैमाने पर आंदोलन छेड़ दिया।

स्थानीय राजनीतिक नेतृत्व ने जानबूझकर होटबैंक के मुद्दे पर आंखें मूंद लीं। आज भी यह लोग स्थानीय राजनीति में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। यह हाल ही संपन्न हुये पश्चिम बंगाल के चुनावों से स्प है। इस घटना ने घुसपैठ के मुद्दे पर पश्चिम बंगाल सहित पूर्वोत्तर के राज्यों में आंदोलन छेड़

International Journal of Research in Economics and Social Sciences(IJRESS)
Available online at: http://euroasiapub.org
Vol. 9 Issue 11, November - 2019
ISSN(o): 2249-7382 | Impact Factor: 6.939 |

दिया है। यह समस्या आज एक गंभीर समस्या बन गई है क्योंकि पिछली सरकार ने भारत के नागरिकों की इस समस्या से आंखें मूंद ली थीं। यह लेख इन सभी सवालों की समीक्षा करने का प्रयास करता है।

**शोध का उद्देश्य**

- भारतीय संविधान में नागरिकता के प्रावधान का अध्ययन करना।
- संशोधन के माध्यम से नागरिकता खंड में किए गए प्रावधानों का अध्ययन करना।
- भारत में नागरिकता के प्रश्न से उत्पन्न विवाद और उसकी समस्या का अध्ययन करना।

**भारतीय संविधान में नागरिकता प्रावधान**

जिस देश में व्यक्ति का जन्म होता है, उस देश की उसे राष्ट्रीयता प्राप्त होती है। दूसरी ओर, नागरिकता एक कानूनी प्रक्रिया के माध्यम से सरकार द्वारा प्रदान की जाती है। भारतीय संविधान में नागरिकता का प्रावधान संविधान के अनुच्छेद ५ से ११ के भाग—२ में किया गया है। इस धारा के प्रावधानों के आधार पर भारतीय संसद ने नागरिकता अधिनियम, १९५५ पारित किया। यह अधिनियम भारतीय नागरिकता प्राप्त करने के ५ अलग—अलग तरीकों को निर्धारित करता है। जन्म और वंश यह भारतीय नागरिकता के मुख्य आधार हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद ५ से ११ नागरिकता के अधिग्रहण और समाप्ति के मुद्दे से संबंधित हैं

**अनुच्छेद ५ :—** इसके अनुसार २६ जनवरी १९५० को संविधान के अधिनियमीत करने के दिन से भारत में रहने वाले सभी व्यक्तियों के साथ—साथ भारत में जन्म लेने वाले या जिनके माता—पिता भारतीय हैं या जिनके दादा—दादी भारतीय हैं, उन्हें भारतीय नागरिकता प्रदान की जाएगी। .

**अनुच्छेद ६ :—** इसके अनुसार जो लोग १९ जुलाई १९४८ से पहले पाकिस्तान से भारत आए थे और तब से भारत में रह रहे हैं, सभी व्यक्ती भारतीय नागरिक कहलाएंगे।

**अनुच्छेद ७ :—** इसके अनुसार यदि कोई भारतीय व्यक्ति पाकिस्तान गया है और १९ जुलाई १९४८ तक पुन: लौट आया है तो वह व्यक्ति भी भारतीय नागरिक कहलाएगा।

International Journal of Research in Economics and Social Sciences(IJRESS)
Available online at: http://euroasiapub.org
Vol. 9 Issue 11, November - 2019
ISSN(o): 2249-7382 | Impact Factor: 6.939 |

**अनुच्छेद ८ :—** इसके अनुसार यदि कोई व्यक्ति विदेश में रह रहा है, उसका जन्म भारत के बाहर हुआ है और उस व्यक्ति के माता—पिता भारतीय नागरिक हैं और व्यक्ति ने किसी अन्य देश की नागरिकता स्वीकार नहीं की है, तो वह व्यक्ति भी भारतीय नागरिक कहलाएगा।

**अनुच्छेद ९ :—** इस अनुच्छेद मे नागरिकता की समाप्ति का वर्णन इस प्रकार है। इसके अनुसार, जब कोई भारतीय व्यक्ति दूसरे देश की नागरिकता स्वीकार करता है और अपनी भारतीय नागरिकता का त्याग करता है, तो उसकी भारतीय नागरिकता समाप्त कर दी जाएगी।

**अनुच्छेद १० :—** इसके अनुसार संसद को नागरिकता पर अधिनियम बनाने का अधिकार दिया गया है । इसी आधार पर संसदने भारतिय नागरिकता प्राप्त करने के लिए नागरिकता अधिनियम १९५५ बनाया गया है। भारतीय नागरिकता प्राप्त करने के निम्नलिखित ५ तरीके हैं

- **जन्म से :—** भारत में जन्म लेने वाला कोई भी व्यक्ति । एक व्यक्ति जो २६ जनवरी, १९५० के बाद भारतीय नागरिक है और जिसके माता—पिता भारतीय नागरिक हैं, उसे जन्म से भारतीय नागरिकता दी जाएगी। विदेशी नागरिकों और उनकी संतानों को छोड़कर भारतीय नागरिकता नहीं दी जाएगी।
- **पंजीकृत नागरिकता:—** इसका मतलब है कि एक व्यक्ति जो विदेशी है, लेकिन ७ साल से अधिक समय से भारत में रह रहा है और किसी भी रा—विरोधी गतिविधियों में शामिल नहीं पाया गया है, उसने दूसरे देश की नागरिकता का त्याग किया है और जो महिलाएं विवाहित हैं भारतीय पुरुषों को अपना नाम दर्ज करके नागरिकता प्राप्त की जा सकती है। ऐसा पंजीकृत भारतीय प्रधानमंत्री, रापति बन सकता है।
- **वंश द्वारा नागरिकता :—** ऐसे व्यक्ति जिनका जन्म विदेश में हुआ है और जिनके माता—पिता भारतीय हैं उन्हें भारतीय नागरिकता प्राप्त होगी।
- **स्वदेशीकरण के माध्यम से नागरिकता :—** यदि भारत के बाहर का कोई प्रांत भारत में विलय करना चाहता है और देश इसे मंजूरी देता है, तो उसके सभी नागरिकों को स्वत: ही भारतीय नागरिकता मिल जाएगी। उदाहरण: सिक्किम और पांडिचेरी

International Journal of Research in Economics and Social Sciences(IJRESS)
Available online at: http://euroasiapub.org
Vol. 9 Issue 11, November - 2019
ISSN(o): 2249-7382 | Impact Factor: 6.939 |

- **विलय के माध्यम से नागरिकता** :— यदि भारत सीमा क्षेत्र के एक हिस्से का विलय करता है, तो उस क्षेत्र के सभी लोगों को भारतीय नागरिकता मिल जाएगी। उदा. गोवा, लक्षद्वीप, दादर और नगर हवेली

**अनुच्छेद ११** :— संसद को कानून द्वारा किसी व्यक्ति की नागरिकता समाप्त करने का अधिकार है। इसके अनुसार यदि कोई व्यक्ति ग्राविरोधी गतिविधियों में लिप्त पाया जाता है तो संसद को उसकी नागरिकता कुछ दिनों, कुछ महीनों, कुछ वर्षों या स्थायी रूप से निरस्त करने का अधिकार है।

उदाहरण: — बालासाहेब ठाकरे, राज ठाकरे, प्रवीण तोगड़िया

**नागरिकता से संबंधित भारत के संविधान में संशोधन**

नागरिकता अधिनियम १९५५ एक ऐसा कानून है जो भारतीय नागरिकता के अधिग्रहण, उसके नियमों और निरसन से व्यापक रूप से संबंधित है। इस कानून के अनुसार, प्रत्येक भारतीय को एक भारतीय की एकमात्र नागरिकता प्राप्त है। इसका अर्थ यह हुआ कि जो व्यक्ति भारत का नागरिक है, वह किसी अन्य देश का नागरिक नहीं हो सकता। २०१९ से पहले इस अधिनियम में १९८६, १९९२, २००३, २००५ और २०१५ पांच बार संशोधन किया जा चुका है।

१) **१९८६ संशोधन:** नागरिकता अधिनियम —१९५५ के तहत, भारत में पैदा हुए सभी लोगों को नागरिकता प्रदान की गई थी। हालांकि, इस संशोधन के तहत जन्म आधारित नागरिकता के नियमों में बदलाव किया गया। २६ जनवरी १९५० को या उसके बाद और १ जुलाई १९८७ से पहले भारत में जन्म लेने वाले व्यक्ति भारतीय नागरिक होंगे। यह नागरिकता का प्रावधान तभी करता है जब १ जुलाई १९८७ के बाद और ४ दिसंबर २००३ से पहले भारत में पैदा हुए व्यक्ति के माता—पिता में से कोई एक जन्म से भारतीय नागरिक हो।

२) **२००३ संशोधन:** बांग्लादेश से घुसपैठ को देखते हुए तत्कालीन डेमोक्रेटिक फ्रंट सरकार ने अधिनियम में भारी संशोधन किया। संशोधन के अनुसार, ४ दिसंबर २००४ के बाद भारत में पैदा हुए लोगों के पास नागरिकता प्राप्त करने के लिए माता—पिता दोनों भारतीय नागरिक होने चाहिए। यदि केवल एक माता—पिता भारतीय नागरिक हैं, तो दूसरा माता—पिता अवैध अप्रवासी नहीं होना चाहिए।

International Journal of Research in Economics and Social Sciences(IJRESS)
Available online at: http://euroasiapub.org
Vol. 9 Issue 11, November - 2019
ISSN(o): 2249-7382 | Impact Factor: 6.939 |

सुधारों के बाद, भारत अब रक्त संबंधों के आधार पर नागरिकता के करीब पहुंच गया है। प्रावधान किया गया था कि जो व्यक्ति कई वर्षों से अवैध रूप से प्रवास कर रहा था उसे नागरिकता नहीं दी जाएगी।

**प्रवासी भारतीय नागरिकता**

सितंबर २००० में, भारत सरकार (विदेश मंत्रालय) ने एल.एम सिंघवी की अध्यक्षता में, प्रवासी भारतीयों पर एक उच्च–स्तरीय समिति का गठन किया गया था, जो दुनिया भर में फैले भारतीयों का व्यापक अध्ययन करने और उनके साथ रचनात्मक संबंधों के लिए सिफारिशें करने के लिए थी। समिति ने सिफारिश की कि नागरिकता अधिनियम, १९५५ के प्रावधानों में संशोधन किया जाए। ऐसे व्यक्तियों को दोहरी नागरिकता प्रदान करने की अनुमति देता है।

नागरिकता अधिनियम २००३ संशोधन २००३ में अटल बिहारी वाजपेयी के प्रधान मंत्री के कार्यकाल के दौरान पारित किया गया था। यह संशोधन पाकिस्तान और बांग्लादेश को छोड़कर १६ देशों में भारतीय मूल के व्यक्तियों के लिए प्रवासी भारतीय नागरिकता प्रदान करता है। इस अधिनियम ने राष्ट्रमंडल नागरिकता से संबंधित या मान्यता देने वाले ग्रामंडल अधिनियम के सभी प्रावधानों को बाहर कर दिया। इस साल की शुरुआत में देश में ९ जनवरी को भारतीय प्रवासी दिन की शुरुआत हुई थी। तदनुसार, अधिनियम किसी भी विदेशी को भारतीय नागरिकता प्रदान करने का प्रावधान करता है जो विदेश में रहता है और जिनके पूर्वज कभी भारतीय नागरिक थे।

३) **२००५ का संशोधन:** इसके बाद, नागरिकता (संशोधन) अधिनियम, २००५ ने भारतीय नागरिकता के दायरे को पाकिस्तान और बांग्लादेश को छोड़कर सभी देशों से भारतीय मूल के लोगों तक बढ़ा दिया, जिन्हें स्थानीय कानून के तहत दोहरी नागरिकता प्रदान की गई थी। यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि चूंकि भारतीय संविधान (अनुच्छेद ९) के तहत दोहरी नागरिकता की अनुमति नहीं है, इसलिए विदेश में भारतीय नागरिकता वास्तव में दोहरी नागरिकता नहीं है।

४) **२०१५ संशोधन :** २०१५ मे नागरिकता (संशोधन) अधिनियम, २०१५ के तहत विदेशों में भारतीय नागरिकता से संबंधित मुख्य कानून के प्रावधानों में संशोधन किया गया। अधिनियम ने

International Journal of Research in Economics and Social Sciences(IJRESS)
Available online at: http://euroasiapub.org
Vol. 9 Issue 11, November - 2019
ISSN(o): 2249-7382 | Impact Factor: 6.939 |

भारतीय मूल के व्यक्तियों के लिए कार्ड योजना बनाई गई। विदेशों में रहनेवाले भारतीय नागरिकों के विदेशों में भारतीय नागरिकता कार्ड धारक एक नई योजना शुरू की। भारतीय मूल के व्यक्तियों के लिए कार्ड योजना १९ अगस्त, २००२ को शुरू की गई थी और इसके बाद १ दिसंबर २००५ को विदेशों में भारतीय नागरिकों के लिए कार्ड योजना शुरू की गई थी। हालांकि विदेशों में भारतीय नागरिकों के लिए कार्ड योजना अधिक लोकप्रिय हो गई, दोनों योजनाएं एक ही समय में चल रही थीं। इससे आवेदकों के मन में अनावश्यक भ्रम की स्थिति पैदा हो गई।

५) **२०१९ संशोधन :** भारतीय नागरिकता अधिनियम के २०१९ पूर्व भारतीय नागरिकता कानून के तहद अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान से जो बिना किसी कानूनी दस्तावेज को पूरा किए भारत चले आये, छह समुदायों अर्थात् हिंदू, सिख, जैन, बौद्ध, ईसाई और पारसी के गैर—मुस्लिम धार्मिक अल्पसंख्यकों उन्हें भी मौजूदा कानून के तहत भारतीय नागरिकता प्राप्त करने की अनुमति नहीं थी। साथ ही, पुराना कानून कानूनी दस्तावेजों के आधार पर भारत में प्रवेश करने वालों को स्वीकार नहीं करता था, बल्कि उन लोगों को भी जिनका वीजा समाप्त हो गया था, भारतीय नागरिक के रूप में स्वीकार करते थे। भारत सरकार ने ऐसे नागरिकों को नागरिकता प्रदान करने के लिए नागरिकता (संशोधन) विधेयक, २०१९ पारित किया है। बिल ने भारतीय नागरिकता अधिनियम, १९५५ और भारतीय संविधान के अनुच्छेद १५ और १६ में संशोधन किया। यह संशोधन १९५५ के नागरिकता अधिनियम में किया गया था। ३१ दिसंबर २०१४ से पहले, अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान से आये हुये छह समुदायों अर्थात् हिंदू, सिख, जैन, बौद्ध, ईसाई और पारसी के गैर—मुस्लिम धार्मिक अल्पसंख्यकों को भारतीय नागरिकता प्रदान की गई है । पिछले कानून में पिछले १४ वर्षों में से ११ वर्षों तक भारत में रहने के बाद ही नागरिकता के लिए आवेदनों पर विचार करने का प्रावधान इस संशोधन के तहद है । नए प्रस्तावित कानून में उस प्रावधान में ढील दी गई है। वैध भारतीय नागरिक बनने के लिए इन अप्रवासियों को अब केवल छह साल के लिए देश में रहने की आवश्यकता होगी। यह प्रावधान देश के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों पर लागू है । यह प्रावधान के तहद आनेवाले लाभार्थी भारत के किसी भी राज्य में रह सकते हैं।

International Journal of Research in Economics and Social Sciences(IJRESS)
Available online at: http://euroasiapub.org
Vol. 9 Issue 11, November - 2019
ISSN(o): 2249-7382 | Impact Factor: 6.939 |

## निष्कर्ष

लोकसभा में एक लिखित सवाल का जवाब देते हुए केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने कहा कि एक करोड़ २४ लाख ९९ हजार ३९५ भारतीय इस समय दुनिया विविध देशोमें कायमता निवासी हैं। इनमें से ३७ लाख नागरिक कार्ड धारक हैं। इनमें से करीब ६.७६ लाख भारतीयों ने २०१५ और २०१९ के बीच अपनी नागरिकता छोड़ दी और अब स्थायी रूप से दूसरे देशों में चले गए हैं। २०१५ और २०१६ में १.४५ लाख नागरिक, २०१७ में १.२८ लाख नागरिक, २०१८ में १.२५ लाख नागरिक और २०१९ में १.३६ लाख भारतीयों ने अपनी नागरिकता छोड़ी है। एक तरफ, इस तस्वीर के बावजूद, बड़ी संख्या में मुस्लिम और गैर—मुसलमान पूर्वोत्तर भारत की सीमा से लगे देशों और श्रीलंका, बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान से कानूनी और अवैध रूप से भारत में प्रवेश कर चुके हैं। भारतीय राज्यों तमिलनाडु और ओडिशा में ९३,०३२ श्रीलंकाई शरणार्थी रह रहे हैं। इनमें से ५८,८४३ श्रीलंकाई तमिलनाडु के विभिन्न शिविरों में रह रहे हैं जबकि ३४,१३५ विभिन्न क्षेत्रों में रह रहे हैं। हाल ही में पारित नागरिकता अधिनियम के तहत बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के गैर—मुसलमानों को भारतीय नागरिकता देने का निर्णय लिया गया है। अन्य शरणार्थियों की नागरिकता का प्रश्न अभी भी अनसुलझा है। इसके अलावा, पूर्वोत्तर भारत में विशेष रूप से असम, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश राज्यों में नए कानून का कड़ा विरोध है, क्योंकि इन राज्यो अन्य देशोसे आये हुये हिंदुओं और मुसलमानों का एक बड़ा प्रवाह देखा गया है। विरोधियों का आरोप है कि बीजेपी सरकार हिंदुओं के लिए कानूनी शरण का रास्ता साफ कर अपना वोट आधार मजबूत करने की कोशिश कर रही है। इस कानून के खिलाफ और इसके पक्ष में राजनीतिक संघर्ष या आंदोलन हुए हैं। लेकिन किसी भी नेता के पास यह सोचने का समय नहीं है कि वास्तव में मुद्दा क्या है और इस समस्यापर कौनसा ग्राहित मे हैं। अगर यह समस्या ऐसेही सुलझती रही तो, आने वाले पचास वर्षो तक यह मुद्दा भारतीय राजनीति में चर्चा का विषय रहेगा औइ इसके परिणाम आनवाले पिढीको भुगतने पडेगे।

**International Journal of Research in Economics and Social Sciences(IJRESS)**
Available online at: http://euroasiapub.org
Vol. 9 Issue 11, November - 2019
ISSN(o): 2249-7382 | Impact Factor: 6.939 |

**संदर्भ**

१) भारतीय राज्यघटना आणि कायदे लेखक अविनाश धर्माधिकारी चाणक्य मंडल प्रकाशन पुणे

२) भारतीय संविधान व डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर लेखक नरेंद्र चपळगावकार श्रीविद्या प्रकाशन पुणे

३) भारतीय राज्यघटनेची ओळख लेखक प्रा. डॉ. सुरेश देवरे

४) भारतीय संविधान भारत सरकार प्रकाशन

५) वेबसाइट पर अखबारों के लेख और लेख